

 <b>सत्यमेव जयते</b>	<b>भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग</b> <b>कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी - II)</b> <b>उत्तर प्रदेश, प्रयागराज</b> <b>Indian Audit and Accounts Department</b> <b>Office of the Accountant General (A&amp;E-II)</b> <b>Uttar Pradesh, Prayagraj</b>	 <small>SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA प्रधान लेखाधिकारी सचिवालय Dedicated to Truth in Public Interest</small>
--	--	--

पत्रांक : ल०ह०-II/नि०स०(प्र०) /ग्रुप-II/परिपत्र/

दिनांक : .09.2025

अति आवश्यक

सेवा में,

1. समस्त अधिशासी अभियंता/संबन्धित खंड
2. समस्त प्रभागीय वनधिकारी/संबन्धित खंड

विषय : मासिक लेखा प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भ में यह अवगत करना है कि खण्डों में मासिक लेखे समय से न प्राप्त होने के कारण लेखा संकलन करने में अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा मासिक सिविल लेखा तैयार करने में विलंब की संभावना बनी रहती है यदपि ससमय लेखा प्रेषण हेतु खण्डों एवं विभागों को नियमित पत्र प्रेषित किए जाते रहे हैं। तथापि विभिन्न खण्डों द्वारा मासिक लेखा विलंब से प्रेषित किया जा रहा है जिसे महालेखाकार महोदय ने अत्यंत गंभीरता से लिया है तथा स-समय लेखा संकलन पूर्ण किए जाने हेतु निर्देशित किया है कि मार्च लेखे के अतिरिक्त खण्डों से मासिक लेखा प्रत्येक दशा में प्रत्येक माह के 07 तारीख तक इस कार्यालय में अवश्य प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

ससमय लेखा प्रेषण हेतु यदि आवश्यकता हो तो संदेशवाहक के माध्यम से भी कार्यालय को लेखा प्रेषित किया जा सकता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने खण्ड का मासिक लेखा नियमानुसार तैयार करा कर प्रत्येक माह के 07 तारीख के पूर्व प्रौष्ठित करना सुनिश्चित करें। विलम्ब से लेखा प्राप्त होने के कारण राज्य लेखा से विलग होने की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी खण्ड की होगी।

भवदीय  
  
२१/२५

पत्रांक : ल०ह०-II/नि०स०(प्र०) /ग्रुप-II/परिपत्र/

दिनांक : .08.2025

प्रतिलिपि:-

1. संबन्धित खण्डीय लेखाकार / खण्डीय लेखाधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्देशों का अनुपालन तत्परता से करना सुनिश्चित करें।
2. प्रमुख वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, वन विभाग उ०प्र० लखनऊ, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रयोजन हेतु अपने अधिनास्थों को आवश्यक निर्देश प्रदान करें।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी/कम्प्युटर सेल को आदेश को कार्यालय वेब साइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
२१/२५

वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि०स०(प्र०)